कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष : 07744–225059 (का), 226389 (नि.), ई–मेल dfo-rajnandgaon.cg@gov.com

ज्ञापन क्र./मा.चि./44/ 5202 राजनांदगांव, दिनांक 27.06.2019

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :– **Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act,1980 under Rehabillitaion and upgradation to 2-lane/4 lane of NH-930 Jhalmala-balod-kushumkasa-manpur-kohka in the state of chattishgarh, area-73.42611-regarding. (Online Registration No FP/CG/ROAD/29243/2017)**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/ सिंचाई/एल.एम. –425–61/935 दिनांक 01.04.2017

– ********* –

विषयांकित संदर्भित के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

01. आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.) द्वारा राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र उत्तर मानपुर के कक्ष क्रमांक–918 रकबा 2.090 हे. ,कक्ष कमांक 919 रकबा 3.041 हे.,कक्ष कमांक 924 रकबा 3.883 हे., कक्ष कमांक 926 रकबा 3. 562 हे., कक्ष कमांक 941 रकबा 6.289 हे., कक्ष कमांक 942 रकबा 2.673 हे., कक्ष कमांक 943 रकबा 4.181 हे., कक्ष कमांक 944 रकबा 2.448 हे., कक्ष कमांक 947 रकबा 0.092 हे., कक्ष कमांक 949 रकबा 4.482 हे., कक्ष कमांक 950 रकबा 0.979 हे. कुल रकबा 33.72 हे. एवं मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव को कार्य हेतु हस्तांतरित पुराना कक्ष क्रमांक–526 रकबा 1.676 हे., कक्ष कमांक 544 रकबा 4.692 हे.,कक्ष कमांक 545 रकबा 2.442 हे., कक्ष कमांक 546 रकबा 4.334 हे. कुल रकबा 13.144 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र ग्राम बिटेझर खसरा नं. 212 रकबा 0.091 हे. कुल रकबा 46.955 हे. एवं बालोद वनमंडल अंतर्गत वनभूमि का रकबा 25.421 हे. एवं राजस्व वनक्षेत्र का रकबा 1.05 हे. कुल 26.471 हे. दोनो वनमंडल अंतर्गत कुल रकबा 73.426 हे क्षेत्र की मांग राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–930 झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छ.ग. /महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु की गई है।
02. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु रूपये 29000/– (रूपये उन्नतीस हजार) जमा कराये गये है।
03. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.5–0.6 है एवं वन site quality III, IVB है
04. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। जो निम्नानुसार है :–
    (i) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–930 झलमला–बालोद–कुसुमकसा– मानपुर मार्ग (छ.ग./महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु मांग की जा रही है, वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
    (ii) वर्तमान व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
05. प्रस्तावित परियोजना के कियान्वन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
06. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी कलेक्टर राजनांदगांव का प्रमाण पत्र संलग्न है।

Scanned by CamScanner

07. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 नियम 03 B का उल्लंघन नहीं किया गया है।

08. आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि मे किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर स्थित नहीं है। वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का प्रमाण पत्र संलग्न है।

09. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार राजनांदगांव वनमंडल की व्यपवर्तित रकबा 46.955 हे. एवं बालोद वनमंडल के 26.471 हे. कुल 73.426 हे. वनक्षेत्र की साईट क्वालिटी सघन वन एवं घनत्व 0.5–0.6 होने के कारण 8.03 लाख प्रति हे. की दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया गया है।

10. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति संलग्न है।

11. बालोद वनमंडल द्वारा 05 प्रतियो में प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित की गई है। (संलग्न)

सशर्त अनुशंसा की जाती है। जिसमें कार्य ऐजेसी को 05 वर्ष के लिये वाहन उपलब्ध कराना होगा एवं उसके Fuel एवं वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी ,मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में सड़क किनारे 03 पक्तियों में वृक्षारोपण विभाग द्वारा कराया जाना होगा जिसका वहन यूजर ऐजेंसी को करना होगा ।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :–प्रस्ताव 05–05 प्रतियों में (राजनांदगांव एवं बालोद वनमंडल)।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव
राजनांदगांव, दिनांक 27.06.2019

पृ.क्र./मा.चि./44/5203
प्रतिलिपि :–

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

Scanned by CamScanner